

**FORM - III****फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अमनजीत कौर आदि बनाम बलविन्द्र कौर आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 03 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025 / 76

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.03.2025	<p>प्रार्थीगण अमनजीत कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 41 एच की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 4.301 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व):</b> <b>श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</b></p>	
25 <sup>03</sup> / <sub>25</sub>	<p>आज यह पत्रावली वादगत भूमि के सम्बन्ध में वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादपत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र में कैवियट कर्ता अधिवक्ता को सुना गया। लिहाजा तदनुगत प्रकरण में कोई कापिलोती अपेक्षित नहीं है। पत्रावली निर्गति होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व):</b> <b>श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</b></p>	